<u>न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण क्रमांक : 801 / 2015 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 15.10.2015

फाइलिंग नंबर : 230303016202015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1—मनोज शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा उम्र 30 वर्ष 2—रामप्रकाश शर्मा पुत्र विद्याराम शर्मा उम्र 70 वर्ष निवासीगण ग्राम खुर्द थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्तगण

(आरोप अंतर्गत धारा—294, 323, 336 भा0दं0सं0) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री गिर्राज भटेले)

निर्णय

(आज दिनांक......को घोषित

1. आरोपी मनोज पर दिनांक 21.04.15 को दिन के 10 बजे फरियादी अशोंक शर्मा के घर के बाहर ग्राम खुर्द में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी अशोंक शर्मा को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, उपेक्षा अथवा उतावलेपन से कट्टे से हवाई फायर कर मानव जीवन एवं फरियादी अशोंक शर्मा का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न करने एवं उसी समय फरियादी अशोंक शर्मा की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 294, 336, एवं 323 तथा आरोपी रामप्रकाश पर घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अशोंक शर्मा को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने एवं उसी समय फरियादी अशोंक शर्मा की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 294, एवं 323 के अंतर्गत आरोप है।

- 2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 21.04.15 को दिन के 10 बजे फरियादी अशोक शर्मा अपने घर के बाहर गल्ले का टैक्टर खाली कर रहा था उसी समय मनोज शर्मा, राहुल एवं रामप्रकाश पुरानी बात को लेकर गाली देते हुए आये थे उसने आरोपीगण को गाली गलौच करने से मना किया था इसी बात पर तीनों ने उसकी लात घूंसों से मारपीट की थी। मनोज शर्मा ने उसके बांये गाल पर चांटा मारा था जिससे चोट के निशान आ गये थे। रामप्रकाश ने कहा था कि मारो तो मनोज ने कट्टे से फायर किया था जिससे वह डर गया था मौके पर शत्रुधन शर्मा एवं खच्चूलाल शर्मा आ गये थे तो आरोपीगण भाग गये थे। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अप०क० 107/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपीगण को गिरफतार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन हुए हैं:--
 - 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 21.04.15 को दिन के 10 बजे फरियादी अशोक शर्मा के घर के बाहर ग्राम खुर्द में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी अशोक शर्मा को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
 - 2. क्या घटना दिनांक को फरियादी अशोक शर्मा के शरीर पर उपहतियां थीं ? यदि हां तो उनकी प्रकृति ?
 - 3. क्या उक्त उपहतियां फरियादी अशोक शर्मा को आरोपीगण द्वारा स्वेच्छया कारित की गयीं थी ?
 - 4. क्या आरोपी मनोज ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उपेक्षा अथवा उतावलेपन से कट्टे से हवाई फायर कर मानव जीवन एवं फरियादी अशोक शर्मा का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी अशोक शर्मा अ0सा01, ए.एस.आई. कमलेश कुमार अ0सा02, डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03, शत्रुधन अ0सा04, एवं खच्चूलाल अ0सा05, को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव में साक्षी सतेन्द्र शर्मा ब0सा01, एवं आरोपी मनोज ब0सा02 को परीक्षित कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी अशोक शर्मा अ०सा०1 ने

7.

न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 21.04.15 को सुबह दस बजे की है वह अपने घर के बाहर ट्रैक्टर टॉली से टॉली में रखा हुआ गल्ला निकालकर अपने घर के अंदर रख रहा था उसी समय आरोपी मनोज, रामप्रकाश एवं राहुल आये थे उन्होंने गाली गलीच किया था, मां—बहन की भद्दी—भद्दी गालियां दी थी जो सुनने में उसे बुरी लगी थी। साक्षी शत्रुधन अ0सा04 एवं खच्चूलाल अ0सा05 ने भी सभी आरोपीगण द्वारा अशोक को मां—बहन की गालियां दिया जाना बताया है।

- 8. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अशोक शर्मा अ०सा०1, एवं साक्षी शत्रुधन अ०सा०4 एवं खच्चूलाल अ०सा०5 ने सभी आरोपीगण द्वारा मां—बहन की गालियां दिया जाना तो बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील अभिवंचित किए थे। जहां कई आरोपीगण पर गालियां दिए जाने का आरोप हो तो वहां साक्षीगण का मात्र यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि सभी आरोपीगण ने गालियां दी थीं। साक्ष्य प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विर्निदिष्ट स्वरूप की होनी चाहिए। सभी आरोपीगण के विरुद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं होगी।
- प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अशोक शर्मा अ०सा०१ एवं शत्रुधन अ०सा०४ तथा खच्चूलाल अ०सा०५ ने सभी आरोपीगण द्वारा मां—बहन की गालियां दिया जाना तो बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किए थे जिन्हें सुनकर फरियादी को क्षोभ कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा०द०स० की धारा 294 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा०द०स० की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04

- 10. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी अशोक शर्मा अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को वह अपने घर के बाहर टैक्टर टॉली में रखा हुआ गल्ला अपने घर के अंदर रख रहा था उसी समय आरोपी मनोज, राहुल और रामप्रकाश आये थे उन्होंने गाली गलीच किया था उसने आवाज दी थी तो उसके पड़ौसी शत्रुधन एवं खच्चूलाल आ गये थे तो मनोज ने कट्टा चलाया था तथा फिर वह लोग भाग गये थे। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 6 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि मनोज ने तीन फायर किए थे। मनोज के पास कट्टा था वह नहीं बता सकता कि कट्टे से एक बार में कितने फायर किए जा सकते हैं उसके सामने मनोज ने कट्टे में बार—बार कारतूस लगाये थे उसने पुलिस को कारतूस जप्त नहीं कराये थे मौके पर जमीन में कोई कारतूस नहीं पड़े थे। आरोपी कारतूस जेब में डालता गया था आरोपी कारतूस जेब से निकालता था एवं फायर करने के बाद वापिस जेब में डाल देता था।
- 11. साक्षी शत्रुधन अ०सा०४ ने अपनेम मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपी मनोज ने झगड़े के दौरान कट्टे से 2–3 फायर किए थे प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि मनोज ने हवाई फायर नहीं किए थे

सामने फायर किए थे। उसे मौके पर बंदूक के खाली खोखे नहीं मिले थे उसने मौके पर खाली खोखे नहीं देखे थे।

- 12. साक्षी खच्चूलाल अ०सा०५ ने भी अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी मनोज ने कट्टे से फायर किया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने मौके पर तीन खोखे डले हुए देखे थे।
- इस प्रकार फरियादी अशोक शर्मा अ०सा०१, एवं साक्षी शत्रुधन अ०सा०४ तथ खच्चूलाल अ०सा05 ने आरोपी मनोज द्वारा कट्टे से फायर करना बताया है परन्तु प्रकरण में आरोपी मनोज से कोई कट्टा जप्त नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त फरियादी अशोक अ०सा०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि आरोपी ने उसके सामने कटटे में बार-बार कारतूस लगाये थे। आरोपी कारतूस फायर करने के लिए जेब से निकालता था और फायर करने के बाद वापिस जेब में डाल लेता था। परन्तु यह बात साक्षी शत्रुधन अ0सा04 एवं खच्चूलाल अ०सा०५ द्वारा नहीं बतायी गयी है। खच्चूलाल अ०सा०५ ने भी यह भी बताया है कि उसने मौके पर खोखे डले हुए देखे थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी अशोक अ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी फायर करने के बाद कारतूस जेब में डाल लेता था जबकि साक्षी खच्चूलाल अ०सा०५ का कहना है कि उसने मौके पर तीन खोखे डले हुए देखे थे एवं साक्षी शत्रुधन अ०सा०४ का कहना है कि उसने मौके पर खाली खोखे नहीं देखे थे। इस प्रकार उक्त बिन्दू पर फरियादी अशोक अ0सा01, शत्रुधन अ0सा04 एवं खच्चूलाल अ0सा05 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। उक्त विरोधाभास अत्यंत तात्विक है जो उक्त बिन्दु पर फरियादी के कथनों के प्रति संदेह उत्पन्न कर देता है।
- 14. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अशोक अ०सा०1 एवं शत्रुधन अ०सा०4 तथा खच्चूलाल अ०सा०5 ने आरोपी मनोज द्वारा कट्टे से फायर करना बताया है परन्तु प्रकरण में न तो कट्टा जप्त किया गया है और ना ही चले हुए कारतूस जप्त किए गए हैं। उक्त बिन्दु पर फरियादी अशोक अ०सा०1, शत्रुधन अ०सा०4 एवं खच्चूलाल अ०सा०5 के कथन परस्पर विरोधाभासी भी रहे हैं ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी मनोज ने घटना के समय उपेक्षा अथवा उतावलेपन से कट्टे से हवाई फायर किया था। ऐसी स्थिति में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः आरोपी मनोज को भा०द०स० की धारा 336 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02

15. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०३ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 21.04.15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक विनोद द्वारा लाये जाने पर आहत अशोक का चिकित्सीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने अशोक के शरीर पर तीन चोटें पाई थीं जिनमें से चोट कमांक 1 नीचे के होंठ में छिले का निशान, चोट कमांक 2 सीने में बांयी तरफ छिला हुआ घाव, चोट कमांक 3 बांये बखा में नील का निशान स्थित था। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें कड़े एवं मौंथरी वस्तु से आना संभावित थी एवं साधारण प्रकृति की थीतथा उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 6 घण्टे के अंदर की थी। उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी—2

है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें गिरने से आना संभावित है।

फरियादी अशोक शर्मा अ०सा०१ ने भी अपने कथन में झगडे के दौरान 16. उसके तीन चोटें कनपटी, गर्दन/एवं छाती पर आना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन उसके शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। उक्त बिन्दू पर फरियादी अशोक शर्मा अ०सा०१ के कथन का समर्थन डॉ० आलोक शर्मा अ0सा03 द्वारा भी किया गया है। उक्त दोनों ही साक्षियो द्वारा बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन फरियादी के शरीर पर चोटें होने के बिन्दू पर अखण्डनीय रहा है। डाँ० आलोक शर्मा चिकित्सीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी है। उनकी फरियादी से कोई हितबद्धता एवं आरोपी से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं होता है। उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है। फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फिरियादी अशोक शर्मा के शरीर पर उपहतियां थीं जिनकी प्रकृति साधारण थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03

- अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त उपहतियां फरियादी 17. अशोक को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही कारित की गयीं ? उक्त संबंध में फरियादी अशोक शर्मा अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 21.04.15 की सुबह दस बजे की है। वह अपने घर के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा हुआ गल्ला निकालकर घर के अंदर ला रहा था उसी समय आरोपी मनोज, रामप्रकाश एवं राह्ल आये थे उन्होंने उसे गाली दी थी उसने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो तीनों ने उसे लात घूंसे एवं थप्पड़ मारना शुरू कर दिया था उसने आवाज दी थी तो पडौसी शत्रुधन एवं खच्चुलाल आ गये थे फिर आरोपीगण भाग गये थे उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र0पी–1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामीका प्र0पी—2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह पुलिस थाना गोहद अपने भाई सत्यदेव शर्मा के साथ गया था (पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके तीन चोटें आईं थीं। वह नहीं बता सकता कि मुलाहिजा फार्म में उसकी एक चोट कैसे लिखी है उसके तीन चोटें कनपटी, गर्दन एवं छाती पर आई थी। कनपटी तथा गर्दन की चोट बांयी तरफ थी एवं छाती की चोट सामने सीने पर थी। उसके नीचे व उपर वाले होंठ पर कोई चोट नहीं थी तथा उसके बांये तरफ के कंधे पर भी कोई चोट नहीं थी। पद कमांक 5 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके मकान के बाहर जो खुली जगह पड़ी थी वहीं पर झगड़ा हुआ था।
- 18. साक्षी शत्रुधन अ०सा०४ एवं खच्चूलाल अ०सा०५ ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा गाली गलौच करना बताया है। उक्त दोनों

साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने स्वीकार किया है कि आरोपी मनोज व रामप्रकाश ने अशोक शर्मा की लात घूंसो से मारपीट की थी।

- 19. ए.एस.आई. कमलेश कुमार अ०सा०२ ने प्र०पी—1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।
- 20. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 21. बचाव पक्ष की ओर से उक्त संबंध में बचाव साक्षी सतेन्द्र शर्मा ब0सा01 एवं आरोपी मनोज अ0सा02 को परीक्षित कराया गया है। सतेन्द्र शर्मा ब0सा01 तथा मनोज ब0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपीगण द्वारा अशोक की मारपीट नहीं की गयी है। आरोपीगण का फरियादी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। फरियादी ने आरोपीगण को झूटा फंसाया है।
- 22. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अशोक शर्मा अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह टैक्टर टॉली से गल्ला निकालकर घर के अंदर रख रहा था उसी समय आरोपी मनोज, रामप्रकाश एवं राहुल आये। आरोपीगण ने गाली गलौच किया तथा तीनों लोगों ने उसे लात घूंसे एवं थप्पड़ मारना शुरू कर दिए थे मौके पर पडौसी शत्रुधन एवं खच्चूलाल आ गये थे तो आरोपीगण भाग गये थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि मारपीट में उसके तीन चोटें आईं थी उसके कनपटी, गर्दन एवं छाती पर चोटें आईं थी उसके बांये कंधे तथा नीचे और उपर वाले होंठ में कोई चोटें नहीं आई थीं।
- इस प्रकार फरियादी अशोक शर्मा अ०सा०१ ने अपने कथन में आरोपी 23. मनोज, रामप्रकाश के अतिरिक्त राहुल द्वारा भी उसकी मारपीट करना बताया है। साक्षी शत्रुधन अ०सा०४ ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी राह्ल मौके पर मौजूद था। उक्त दोनों साक्षीगण द्वारा यह भी बताया गया है कि उन्होंने पुलिस को कथन देते वक्त यह नहीं बताया था कि राहुल शर्मा गांव में नहीं था। यहां यह उल्लेखनीय है कि विवेचना के दौरान आरोपी राहुल को मौके पर उपस्थित नहीं पाया गया एवं राहल के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी अशोक शर्मा अ०सा०१ एवं शत्रुधन अ०सा०४ के पुलिस कथन में यह वर्णित है कि आरोपी राहुल घटना के समय गांव में नहीं था। यद्यपि फरियादी अशोक अ०सा०1, शत्रुधन अ०सा०४ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी राहल मौके पर उपस्थित था परन्तु यह बात फरियादी अशोक अ0सा01 एवं शत्रुधन अ0सा04 द्वारा अपने पुलिस कथन में नहीं बतायी गयी है। उक्त बिन्दु पर फरियादी अशोक अ०सा०१ एवं शत्रुधन अ०सा०४ के कथन उनके पुलिस कथन से विरोधाभासी रहे हैं। उक्त बिन्दु पर फरियादी अशोक अ०सा०१ एवं शत्रुधन अ०सा०४ द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों को राह्ल के संबंध में अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है परन्तु मात्र इस आधार पर फरियादी अशोक अ0सा01 एवं शत्रुधन अ0सा04 के संपूर्ण कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

24. फरियादी अशोक अ०सा०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि मारपीट में उसके तीन चोटें कनपटी, गर्दन एवं छाती पर आई थीं तथा उसके कंधे पर एवं नीचे तथा उपर वाले होंठ पर कोई चोट नहीं थी जबिक प्र0पी—2 की चिकित्सीय रिपोर्ट में फरियादी अशोक के नीचे के होंठ एवं बांये कंधे पर चोट होना वर्णित है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी अशोक अ०सा०१ के कथन प्र0पी—2 की चिकित्सीय रिपोर्ट से किंचित विसंगत रहे हैं परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी अशोक ने मारपीट में उसके छाती पर चोट आना बताया है तथा प्र0पी—2 की चिकित्सीय रिपोर्ट में भी फरियादी के सीने में छिला हुआ घाव होना वर्णित है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी अशोक ने आरोपीगण द्वारा उसकी लात घूंसे एवं थप्पड़ से मारपीट करना बताया है एवं भा०द0स० की धारा 323 को प्रमाणित होने के लिए चोटों का दर्शनीय होना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थित में मात्र उक्त आधार पर अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।

25. जहां तक साक्षी शत्रुधन अ०सा०४ एवं खच्चूलाल अ०सा०५ के कथन का प्रश्न है साक्षी शत्रुधन अ०सा०४ ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि मौके पर रामप्रकाश एवं मनोज आये थे तथा मनोज ने अशोक के चांटा मारा था जब उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किया गया तो उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दोनों आरोपीगण ने अशोक शर्मा की लात घूंसों से मारपीट की थी। साक्षी खच्चूलाल अ०सा०५ ने भी अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दोनों आरोपीगण मनोज एवं रामप्रकाश ने अशोक शर्मा की लात घूंसों से मारपीट की थी। उक्त दोनों ही साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है।

26. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि फिरयादी अशोक की भैंस चोरी हो गयी थी जिसका इल्जाम अशोक ने आरोपी मनोज पर लगाया था तथा जब मनोज फिरयादी के दरवाजे से निकला था तो अशोक शर्मा एवं सत्यदेव ने मिलकर अशोक की मारपीट की थी। परन्तु उक्त संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि फिरयादी अशोक ने आरोपी मनोज की मारपीट की थी परन्तु उक्त संबंध में कोई चिकित्सीय रिपोर्ट बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त तर्क से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

27. जहां तक बचाव साक्षी सतेन्द्र शर्मा ब0सा01 एवं आरोपी मनोज शर्मा ब0सा02 के कथन का प्रश्न है तो सतेन्द्र शर्मा ब0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि फरियादी ने आरोपी मनोज पर भैंस वापिस करने का दबाव बनाया था तथा आरोपीगण का फरियादी से कोई झगडा नहीं हुआ था। आरोपी मनोज ब0सा02 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि फरियादी ने उसके उपर झूठा केस लगाया है परन्तु फरियादी अशोक अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपी मनोज एवं रामप्रकाश द्वारा उसकी मारपीट करना बताया है। साक्षी शत्रुधन अ0सा04 एवं खच्चूलाल अ0सा05 द्वारा भी फरियादी अशोक अ0सा01 के कथन का समर्थन किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान

तात्विक विसंगतियों से परे रहा है। आरोपीगण की ओर से दिए गए बचाव के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में सतेन्द्र शर्मा ब0सा01 एवं मनोज शर्मा ब0सा02 का यहकथन कि फरियादी ने आरोपीगण को मिथ्या अपराध में फंसाया है विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

28. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादी द्वारा आरोपीगण को रंजिशन झूठे अपराध में फंसाया गया है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश थी तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

9. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्व ारा प्रकरण में विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं मानी जा सकती है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। प्रकरण में फरियादी अशोक शर्मा अ०सा०1, शत्रुधन अ०सा०4 तथा खच्चूलाल अ०सा०5 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विसंगतियों से परे रहे हैं तथा विवेचक को परीक्षित न कराना अभियोजन की प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं उक्त त्रुटि से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

30. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी अशोक शर्मा अ०सा०1 ने आरोपी मनोज एवं रामप्रकाश द्वारा उसकी लात घूंसे एवं थप्पड़ से मारपीट करना बताया है। साक्षी शत्रुधन अ०सा०4 एवं खच्चूलाल अ०सा०5 द्वारा भी फरियादी अशोक शर्मा अ०सा०1 के कथन का समर्थन किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट यथाशीध्र थाने पर की गयी है एवं फरियादी अशोक का कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र०पी–1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है ऐसी स्थित में फरियादी की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

31. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से संदेह से परे यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को आरोपी मनोज एवं रामप्रकाश ने फरियादी अशोक शर्मा की मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी।

32. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण द्वारा फरियादी को स्वेच्छया उपहित कारित की गयी थी। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य आपस में विवाद हुआ था एवं विवाद के दौरान आरोपी मनोज एवं रामप्रकाश द्वारा फरियादी अशोक की लात घूंसों एवं थप्पड़ से मारपीट की गयी। मारपीट करते समय आरोपीगण यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस तरह से फरियादी अशोक शर्मा की मारपीट की जा रही है

उससे अशोक शर्मा को उपहित कारित होना संभावित है। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फिरयादी अशोक शर्मा को उपहित कारित की गयी थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फिरयादी अशोक शर्मा को स्वेच्छया उपहित कारित की गयी थी।

- 33. फलतः समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 21.04.15 को दिन के लगभग 10 बजे फरियादी अशोक शर्मा के घर के बाहर ग्राम खुर्द में फरियादी अशोक शर्मा की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी मनोज एवं रामप्रकाश को भा0द0स0 की धारा 323 के आरोप में दोषी पाती है।
- 34. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी मनोज को भा0द0स0 की धारा 294, एवं 336 तथा आरोपी रामप्रकाश को भा0द0स0 294, के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 323 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।
- 35. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थिगित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च:-

- 36. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।
- 37- आरोपीगण अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादी अशोक शर्मा की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की गईहै उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोडा जाना उचित नहीं है। आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी रामप्रकाश 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है एवं आरोपी मनोज 32 वर्षीय युवक है। आरोपीगण वर्ष 2015 से विचारण का सामना कर रहे हैं। फरियादी को आई चोंटें साधारण प्रकृति की हैं। अतः फरियादी की चोटों की प्रकृति एवं प्रकरण परिस्थितियों को देखते आरोपीगण को अर्थदण्ड से दण्डित करने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव है।

फलतः यह न्यायालय आरोपी मनोज एवं रामप्रकाश में से प्रत्येक को भा०द०स० की धारा 323 के अंतर्गत आठ—आठ सौ रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिकृम होने पर 15—15 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित करती है।

- 38. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 39. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नही है।
- 40. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे है उसके संबंध मे धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे है। स्थान गोहद दिनांक –10.07.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / –

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0) सही / –

प्रथम श्रेणी न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मоप्र0) गोहद जिला मिण्ड (मоप्र0)